

संख्या-वे0310-2-1318/दस-59(एम)/2008.

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1)
(2)

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालय/अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 08 दिसम्बर, 2008.

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

विषय:-पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण।

महोदय,

पुनरीक्षित वेतन संरचना, उत्तर प्रदेश (2008) को प्रथम प्रतियेदन पर निर्गत संकल्प संख्या-वे0310-2-1313/दस-54(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा शासनादेश संख्या-वे0310-2-1314/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित विस्तृत आदेश निम्नवत् जारी करने का निर्देश हुआ है :-

1-- प्रत्येक कर्मचारी जो दिनांक 01 जनवरी, 2006 को राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में था, वह वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार किया जायेगा:

परन्तु

कोई सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान में उसकी आगली या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक अथवा वह पद रियात करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक, वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।

इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जहाँ सरकारी सेवक को दिनांक 01 जनवरी, 2006 तथा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, सम्प्रदान वेतनमान के अन्तर्गत दायित्वक वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड आदि के कारण उच्चतर वेतनमान में रखा गया है, वहाँ सरकारी सेवक ऐसी पदोन्नति, सम्प्रदान वेतनमान के अन्तर्गत दायित्वक वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड प्राप्त करने की तिथि से संशोधित वेतन संरचना का विकल्प चुन सकता है।

संशोधित वेतनमान के नामों में होगी।

संशोधित वेतनमान के अनुसार विकल्प की सुविधा दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिये उपलब्ध नहीं होगी चाहे वह सरकारी सेवा में पहली बार आया हो अथवा दूसरे पद से स्थानान्तरित होकर आया हो, उसे केवल पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

संशोधित वेतनमान के नामों में होगी।

कोई सरकारी कर्मचारी मूल नियम 22 या किसी अन्य नियम या पद के लिये लागू किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानाध्वन रूप से

Mc/Heel
Fca n. a. p.

cut
1/R

सेवागुप्त कर दिये गये हों, सेवा त्याग (त्याग-पत्र), अनुशासनहीनता व कारण सेवा गुप्त या बर्खास्त किये गये हों, को भी विकल्प प्रस्तुत करने की उचित सुविधा अनुमत्त होगी।

(5) जो व्यक्ति दिनांक 01 जनवरी, 2008 को या उसके बाद दिवंगत हो गये हों और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर पुनरीकृत वेतन संरचना के लिये गणना का विकल्प नहीं दे सके उनके सम्बन्ध में भी यह मान लिया जायेगा कि उन्होंने दिनांक 01 जनवरी, 2008 से या उसके बाद की किसी भी तिथि से, जो उनके आश्रितों को लाभप्रद हो, गई वेतन संरचना का चयन कर लिया है। यदि पुनरीकृत वेतन संरचना उनके हक में है तो बकाया राशि के भुगतान के लिये तत्समन्धी सक्षम अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायेगी।

(6) ऐसे व्यक्ति जो, दिनांक 01 जनवरी 2008 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य ऐसे अवकाश पर थे जिसके लिए अवकाश वेतन अनुमत्त था, को भी इस नियम के अन्तर्गत विकल्प की सुविधा प्राप्त होगी।

द्वितीय कर्मचारी की 'वर्तमान परिलक्षियों' निम्नलिखित को जोड़ कर निर्धारित की जायेगी :-

(1) दिनांक 01 जनवरी, 2008 को वेतन निर्धारण हेतु पद के वर्तमान साधारण वेतनमान अथवा समवमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमत्त प्रोत्साहि/उच्च वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड जैसी भी रिधति हो, में दिनांक 01 जनवरी, 2008 को आह्वित मूल वेतन या वेतन की निश्चरता दर।

साधारण वेतनमान की दर में मिल रही वृद्धिरोध वेतनवृद्धि की राशि भी, यदि कोई हो, सम्मिलित होगी।

(2) उपर्युक्त प्रस्ताव-3(1) के अधीन मूल वेतन और साधारण वेतन की दर में वृद्धिरोध वेतनवृद्धि, यदि कोई हो, तथा देय प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0) के योग पर 536 (1982=100) के औसत मूल्य सूचकांक पर दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता।

(3) उपर्युक्त मूल वेतन पर देय मंहगाई वेतन, यदि कोई हो, तथा

(4) उपर्युक्त मूल वेतन तथा देय मंहगाई वेतन, यदि कोई हो, के योग पर 536 (1982=100) के औसत मूल्य सूचकांक पर दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता।

किसी भी कर्मचारी की वर्तमान परिलक्षियों की गणना में निम्नलिखित गवें सम्मिलित नहीं की जायेगी :-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-9(25) के अधीन स्वीकृत विशेष वेतन।

(2) रत्नातफोत्तर वेतन।

(3) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0)।

(4) ऐसा वेतन जो उपर्युक्त प्रस्ताव-3(1) के अधीन नहीं आता है।

(2)

धारित अपने किसी पद के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा, जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलम्बित न किये जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

शास्त्रीकरण-4 ऐसे संवर्ग/पदों, जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद हुआ है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वे या तो दिनांक 01 जनवरी, 2006 को विद्यमान वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन उच्चीकरण/संशोधन के दिनांक से चुन लें।

रूप का धयन

2-

(1) उपर्युक्त प्रस्तर-1 के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारियों को विकल्प का चयन लिखित रूप से निर्धारित प्रारूप पर (संलग्नक-1) देना होगा। यह विकल्प सम्बन्धित कर्मचारी को कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी/वेतनपट्टी जारी करने वाले अधिकारी, जो भी सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुरितकता रखता हो, को इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के अन्दर पहुँच जाना चाहिये।

परन्तु

(ग) तथा मामलों में जब सरकारी सेवक इस शासनादेश के जारी होने की तिथि को अद्यवारा पर या प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा अथवा स्थायी सेवा में देश से बाहर हो, उपर्युक्त विकल्प संबंधित अधिकारी को पारा सरकारी सेवक के भारत में आने और यहाँ पदभार संभालने की तिथि के तीन माह के अंदर लिखित रूप से पहुँच जाना चाहिए, तथा

(ख) जहाँ कोई सरकारी सेवक दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निलम्बित हो तो ऐसे में वह काम पर वापस आने की तिथि से 3 माह के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है यदि उसके कार्य पर बाधा आने की तिथि इस शासनादेश के निर्गत होने के बाद की हो।

(2) यदि सरकारी कर्मचारी का लिखित विकल्प उप प्रस्तर2(1) के अनुसार निर्धारित तिथि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जायेगा कि उसने पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है और उसे 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार वेतन दिया जायेगा।

(3) एक बार दिया गया विकल्प ही अंतिम होगा।

(4) जिन व्यक्तियों की सेवा दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई हो और जो स्वीकृत पदों को समाप्ति के कारण

विकल्प का प्रारूप

- * (1) मैं दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना का वचन करता हूँ।
- * (2) मैं अपने मूल/स्थानायन पद के निम्नांकित वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ, जब तक कि :-

मेरी अगली वेतनवृद्धि की तिथि
मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन बढ़कर न हो जाये।

वै. वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करता हूँ/जोड़ हूँ।

वर्तमान वेतनमान

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय का नाम

दिनांक -

स्थान -

* यदि लागू न हो काट दिया जाये।

प्रेषक,

श्री बी0एन0 दीक्षित,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 2008.

विषय:-वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण तथा अवशेष के भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 में की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में सम्बन्धित कर्मचारियों को विकल्प की सुविधा दी गयी है। उक्त व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित कर्मचारियों का विकल्प प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था निम्नानुसार की जायेगी:---

- (1) पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन के निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1314/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-5 में की गयी है। उपर्युक्त व्यवस्था के आधार पर वर्तमान वेतनमानों के प्रत्येक स्तर के लिए वेतन निर्धारण से सम्बन्धित विस्तृत तालिकाएं इस शासनादेश में संलग्नक-1 पर दी गयी हैं। इन तालिकाओं के आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण किया जायेगा।
- (2) शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1314/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-8 की व्यवस्थानुसार प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक वेतनवृद्धि सम्बन्धित वर्ष में माह जुलाई की पहली तारीख को देय होगी। यदि किसी कर्मचारी की वेतन वृद्धि की तिथि 01 जनवरी, 2006 है, तो सम्बन्धित कर्मचारी को वर्तमान वेतनमान में वेतनवृद्धि स्वीकृत करने के उपरान्त प्राप्त वेतन स्तर के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में संलग्न तालिका के अनुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा। ऐसे मामलों में पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2006 को देय होगी।

2- पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुव्यवस्थित/सही वेतन निर्धारण को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2) के अनुसार वेतन निर्धारण का विवरण तैयार किया जायेगा। उक्त विवरण की एक प्रति सम्बन्धित कार्मिक की सेवा-पुस्तिका में चर्या की जायेगी तथा एक प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। वर्तमान वेतनमानों में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से दिनांक 30 जून, 2006 तक पूर्व दरों पर आहरित मंहगाई भत्ते का समायोजन पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अवशेष भुगतान में समायोजित कर लिया जायेगा।



Fitment Tables

Pre-revised scale
Rs.2550-55-2660-60-3200

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1300

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,550	4,750	1,300	6,050
2,605	4,850	1,300	6,150
2,660	4,950	1,300	6,250
2,720	5,060	1,300	6,360
2,780	5,180	1,300	6,480
2,840	5,290	1,300	6,590
2,900	5,400	1,300	6,700
2,960	5,510	1,300	6,810
3,020	5,620	1,300	6,920
3,080	5,730	1,300	7,030
3,140	5,840	1,300	7,140
3,200	5,960	1,300	7,260
3,260	6,070	1,300	7,370
3,320	6,180	1,300	7,480
3,380	6,290	1,300	7,590

Pre-revised scale
Rs.2610-60-3150-65-3540

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,610	4,860	1,400	6,260
2,670	4,970	1,400	6,370
2,730	5,080	1,400	6,480
2,790	5,190	1,400	6,590
2,850	5,310	1,400	6,710
2,910	5,420	1,400	6,820
2,970	5,530	1,400	6,930
3,030	5,640	1,400	7,040
3,090	5,750	1,400	7,150
3,150	5,860	1,400	7,260
3,215	5,980	1,400	7,380
3,280	6,110	1,400	7,510
3,345	6,230	1,400	7,630
3,410	6,350	1,400	7,750
3,475	6,470	1,400	7,870
3,540	6,590	1,400	7,990
3,605	6,710	1,400	8,110
3,670	6,830	1,400	8,230
3,735	6,950	1,400	8,350

Am

Pre-revised scale
Rs.2650-65-3300-70-4000

Revised Pay Band + Grade Pay
-1S Rs.4440-7440 + Rs.1650

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2,650	4,930	1,650	6,580
2,715	5,050	1,650	6,700
2,780	5,180	1,650	6,830
2,845	5,300	1,650	6,950
2,910	5,420	1,650	7,070
2,975	5,540	1,650	7,190
3,040	5,660	1,650	7,310
3,105	5,780	1,650	7,430
3,170	5,900	1,650	7,550
3,235	6,020	1,650	7,670
3,300	6,140	1,650	7,790
3,370	6,270	1,650	7,920
3,440	6,400	1,650	8,050
3,510	6,530	1,650	8,180
3,580	6,660	1,650	8,310
3,650	6,790	1,650	8,440
3,720	6,920	1,650	8,570
3,790	7,050	1,650	8,700
3,860	7,180	1,650	8,830
3,930	7,310	1,650	8,960
4,000	7,440	1,650	9,090
4,070	7,570	1,650	9,220
4,140	7,700	1,650	9,350
4,210	7,840	1,650	9,490

Am

Pre-revised scale
Rs.2750-70-3800-75-4400

Revised Pay Band+ Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200+Rs.1800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
2750	5200	1800	7000
2820	5250	1800	7050
2890	5380	1800	7180
2960	5510	1800	7310
3030	5640	1800	7440
3100	5770	1800	7570
3170	5900	1800	7700
3240	6030	1800	7830
3310	6160	1800	7960
3380	6290	1800	8090
3450	6420	1800	8220
3520	6550	1800	8350
3590	6680	1800	8480
3660	6810	1800	8610
3730	6940	1800	8740
3800	7070	1800	8870
3875	7210	1800	9010
3950	7350	1800	9150
4025	7490	1800	9290
4100	7630	1800	9430
4175	7770	1800	9570
4250	7910	1800	9710
4325	8050	1800	9850
4400	8190	1800	9990
4475	8330	1800	10130
4550	8470	1800	10270
4625	8610	1800	10410

Pw

Pre-revised scale
Rs.3050-75-3950-80-4590

Revised Pay Band+ Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200+Rs.1900

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3050	5680	1900	7580
3125	5820	1900	7720
3200	5960	1900	7860
3275	6100	1900	8000
3350	6240	1900	8140
3425	6380	1900	8280
3500	6510	1900	8410
3575	6650	1900	8550
3650	6790	1900	8690
3725	6930	1900	8830
3800	7070	1900	8970
3875	7210	1900	9110
3950	7350	1900	9250
4030	7500	1900	9400
4110	7650	1900	9550
4190	7800	1900	9700
4270	7950	1900	9850
4350	8100	1900	10000
4430	8240	1900	10140
4510	8390	1900	10290
4590	8540	1900	10440
4670	8690	1900	10590
4750	8840	1900	10740
4830	8990	1900	10890

Am

Pre-revised scale
Rs.3200-85-4900

Revised Pay Band+ Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200+Rs.2000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3200	5960	2000	7960
3285	6120	2000	8120
3370	6270	2000	8270
3455	6430	2000	8430
3540	6590	2000	8590
3625	6750	2000	8750
3710	6910	2000	8910
3795	7060	2000	9060
3880	7220	2000	9220
3965	7380	2000	9380
4050	7540	2000	9540
4135	7700	2000	9700
4220	7850	2000	9850
4305	8010	2000	10010
4390	8170	2000	10170
4475	8330	2000	10330
4560	8490	2000	10490
4645	8640	2000	10640
4730	8800	2000	10800
4815	8960	2000	10960
4900	9120	2000	11120
4985	9280	2000	11280
5070	9440	2000	11440
5155	9590	2000	11590

Am

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
3200	5960	2000	7960
3285	6120	2000	8120
3370	6270	2000	8270
3455	6430	2000	8430
3540	6590	2000	8590
3625	6750	2000	8750
3710	6910	2000	8910
3795	7060	2000	9060
3880	7220	2000	9220
3965	7380	2000	9380
4050	7540	2000	9540
4135	7700	2000	9700
4220	7850	2000	9850
4305	8010	2000	10010
4390	8170	2000	10170
4475	8330	2000	10330
4560	8490	2000	10490
4645	8640	2000	10640
4730	8800	2000	10800
4815	8960	2000	10960
4900	9120	2000	11120
4985	9280	2000	11280
5070	9440	2000	11440
5155	9590	2000	11590
5240	9750	2000	11750
5325	9910	2000	11910
5410	10070	2000	12070
5495	10230	2000	12230
5580	10380	2000	12380
5665	10540	2000	12540

Am

Pre-revised scale
Rs.4000-100-6000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4,000	7,440	2,400	9,840
4,100	7,630	2,400	10,030
4,200	7,820	2,400	10,220
4,300	8,000	2,400	10,400
4,400	8,190	2,400	10,590
4,500	8,370	2,400	10,770
4,600	8,560	2,400	10,960
4,700	8,750	2,400	11,150
4,800	8,930	2,400	11,330
4,900	9,120	2,400	11,520
5,000	9,300	2,400	11,700
5,100	9,490	2,400	11,890
5,200	9,680	2,400	12,080
5,300	9,860	2,400	12,260
5,400	10,050	2,400	12,450
5,500	10,230	2,400	12,630
5,600	10,420	2,400	12,820
5,700	10,610	2,400	13,010
5,800	10,790	2,400	13,190
5,900	10,980	2,400	13,380
6,000	11,160	2,400	13,560
6,100	11,350	2,400	13,750
6,200	11,540	2,400	13,940
6,300	11,720	2,400	14,120

Pre-revised scale
Rs4250-100-5150-125-6400

Revised Pay Band+ Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200+Rs.2800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4250	7910	2800	10710
4350	8100	2800	10900
4450	8280	2800	11080
4550	8470	2800	11270
4650	8650	2800	11450
4750	8840	2800	11640
4850	9030	2800	11830
4950	9210	2800	12010
5050	9400	2800	12200
5150	9580	2800	12380
5275	9820	2800	12620
5400	10050	2800	12850
5525	10280	2800	13080
5650	10510	2800	13310
5775	10750	2800	13550
5900	10980	2800	13780
6025	11210	2800	14010
6150	11440	2800	14240
6275	11680	2800	14480
6400	11910	2800	14710
6525	12140	2800	14940
6650	12370	2800	15170
6775	12610	2800	15410

Sw

Pre-revised scale
Rs.4500-125-7000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4,500	8,370	2,800	11,170
4,625	8,610	2,800	11,410
4,750	8,840	2,800	11,640
4,875	9,070	2,800	11,870
5,000	9,300	2,800	12,100
5,125	9,540	2,800	12,340
5,250	9,770	2,800	12,570
5,375	10,000	2,800	12,800
5,500	10,230	2,800	13,030
5,625	10,470	2,800	13,270
5,750	10,700	2,800	13,500
5,875	10,930	2,800	13,730
6,000	11,160	2,800	13,960
6,125	11,400	2,800	14,200
6,250	11,630	2,800	14,430
6,375	11,860	2,800	14,660
6,500	12,090	2,800	14,890
6,625	12,330	2,800	15,130
6,750	12,560	2,800	15,360
6,875	12,790	2,800	15,590
7,000	13,020	2,800	15,820
7,125	13,260	2,800	16,060
7,250	13,490	2,800	16,290
7,375	13,720	2,800	16,520

Sm

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
4500	8370	2800	11170
4625	8610	2800	11410
4750	8840	2800	11640
4875	9070	2800	11870
5000	9300	2800	12100
5125	9540	2800	12340
5250	9770	2800	12570
5375	10000	2800	12800
5500	10230	2800	13030
5625	10470	2800	13270
5750	10700	2800	13500
5875	10930	2800	13730
6000	11160	2800	13960
6125	11400	2800	14200
6250	11630	2800	14430
6375	11860	2800	14660
6500	12090	2800	14890
6625	12330	2800	15130
6750	12560	2800	15360
6875	12790	2800	15590
7000	13020	2800	15820
7125	13260	2800	16060
7250	13490	2800	16290
7375	13720	2800	16520
7500	13950	2800	16750
7625	14190	2800	16990

Handwritten mark

Pre-revised scale
Rs.5000-150-8000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
5,000	9,300	4,200	13,500
5,150	9,580	4,200	13,780
5,300	9,860	4,200	14,060
5,450	10,140	4,200	14,340
5,600	10,420	4,200	14,620
5,750	10,700	4,200	14,900
5,900	10,980	4,200	15,180
6,050	11,260	4,200	15,460
6,200	11,540	4,200	15,740
6,350	11,820	4,200	16,020
6,500	12,090	4,200	16,290
6,650	12,370	4,200	16,570
6,800	12,650	4,200	16,850
6,950	12,930	4,200	17,130
7,100	13,210	4,200	17,410
7,250	13,490	4,200	17,690
7,400	13,770	4,200	17,970
7,550	14,050	4,200	18,250
7,700	14,330	4,200	18,530
7,850	14,610	4,200	18,810
8,000	14,880	4,200	19,080
8,150	15,160	4,200	19,360
8,300	15,440	4,200	19,640
8,450	15,720	4,200	19,920

Pre-revised scale
Rs.5500-175-9000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
5,500	10,230	4,200	14,430
5,675	10,560	4,200	14,760
5,850	10,890	4,200	15,090
6,025	11,210	4,200	15,410
6,200	11,540	4,200	15,740
6,375	11,860	4,200	16,060
6,550	12,190	4,200	16,390
6,725	12,510	4,200	16,710
6,900	12,840	4,200	17,040
7,075	13,160	4,200	17,360
7,250	13,490	4,200	17,690
7,425	13,820	4,200	18,020
7,600	14,140	4,200	18,340
7,775	14,470	4,200	18,670
7,950	14,790	4,200	18,990
8,125	15,120	4,200	19,320
8,300	15,440	4,200	19,640
8,475	15,770	4,200	19,970
8,650	16,090	4,200	20,290
8,825	16,420	4,200	20,620
9,000	16,740	4,200	20,940
9,175	17,070	4,200	21,270
9,350	17,400	4,200	21,600
9,525	17,720	4,200	21,920

Pre-revised scale
Rs.6500-200-10500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
6,500	12,090	4,200	16,290
6,700	12,470	4,200	16,670
6,900	12,840	4,200	17,040
7,100	13,210	4,200	17,410
7,300	13,580	4,200	17,780
7,500	13,950	4,200	18,150
7,700	14,330	4,200	18,530
7,900	14,700	4,200	18,900
8,100	15,070	4,200	19,270
8,300	15,440	4,200	19,640
8,500	15,810	4,200	20,010
8,700	16,190	4,200	20,390
8,900	16,560	4,200	20,760
9,100	16,930	4,200	21,130
9,300	17,300	4,200	21,500
9,500	17,670	4,200	21,870
9,700	18,050	4,200	22,250
9,900	18,420	4,200	22,620
10,100	18,790	4,200	22,990
10,300	19,160	4,200	23,360
10,500	19,530	4,200	23,730
10,700	19,910	4,200	24,110
10,900	20,280	4,200	24,480
11,100	20,650	4,200	24,850

Pre-revised scale
Rs.7450-225-11500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,450	13,860	4,600	18,460
7,675	14,280	4,600	18,880
7,900	14,700	4,600	19,300
8,125	15,120	4,600	19,720
8,350	15,540	4,600	20,140
8,575	15,950	4,600	20,550
8,800	16,370	4,600	20,970
9,025	16,790	4,600	21,390
9,250	17,210	4,600	21,810
9,475	17,630	4,600	22,230
9,700	18,050	4,600	22,650
9,925	18,470	4,600	23,070
10,150	18,880	4,600	23,480
10,375	19,300	4,600	23,900
10,600	19,720	4,600	24,320
10,825	20,140	4,600	24,740
11,050	20,560	4,600	25,160
11,275	20,980	4,600	25,580
11,500	21,390	4,600	25,990
11,725	21,810	4,600	26,410
11,950	22,230	4,600	26,830
12,175	22,650	4,600	27,250

Pre-revised scale
Rs.7500-250-12000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
7,500	13,950	4,800	18,750
7,750	14,420	4,800	19,220
8,000	14,880	4,800	19,680
8,250	15,350	4,800	20,150
8,500	15,810	4,800	20,610
8,750	16,280	4,800	21,080
9,000	16,740	4,800	21,540
9,250	17,210	4,800	22,010
9,500	17,670	4,800	22,470
9,750	18,140	4,800	22,940
10,000	18,600	4,800	23,400
10,250	19,070	4,800	23,870
10,500	19,530	4,800	24,330
10,750	20,000	4,800	24,800
11,000	20,460	4,800	25,260
11,250	20,930	4,800	25,730
11,500	21,390	4,800	26,190
11,750	21,860	4,800	26,660
12,000	22,320	4,800	27,120
12,250	22,790	4,800	27,590
12,500	23,250	4,800	28,050
12,750	23,720	4,800	28,520

Am

Pre-revised scale
Rs.8000-275-13500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.5400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
8,000	14,880	5,400	20,280
8,275	15,400	5,400	20,800
8,550	15,910	5,400	21,310
8,825	16,420	5,400	21,820
9,100	16,930	5,400	22,330
9,375	17,440	5,400	22,840
9,650	17,950	5,400	23,350
9,925	18,470	5,400	23,870
10,200	18,980	5,400	24,380
10,475	19,490	5,400	24,890
10,750	20,000	5,400	25,400
11,025	20,510	5,400	25,910
11,300	21,020	5,400	26,420
11,575	21,530	5,400	26,930
11,850	22,050	5,400	27,450
12,125	22,560	5,400	27,960
12,400	23,070	5,400	28,470
12,675	23,580	5,400	28,980
12,950	24,090	5,400	29,490
13,225	24,600	5,400	30,000
13,500	25,110	5,400	30,510
13,775	25,630	5,400	31,030
14,050	26,140	5,400	31,540
14,325	26,650	5,400	32,050

Am

New (Group A Entry)
Rs. 8000-275-13500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 5400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
8,000	15,600	5,400	21,000
8,275	15,600	5,400	21,000
8,550	15,910	5,400	21,310
8,825	16,420	5,400	21,820
9,100	16,930	5,400	22,330
9,375	17,440	5,400	22,840
9,650	17,950	5,400	23,350
9,925	18,470	5,400	23,870
10,200	18,980	5,400	24,380
10,475	19,490	5,400	24,890
10,750	20,000	5,400	25,400
11,025	20,510	5,400	25,910
11,300	21,020	5,400	26,420
11,575	21,530	5,400	26,930
11,850	22,050	5,400	27,450
12,125	22,560	5,400	27,960
12,400	23,070	5,400	28,470
12,675	23,580	5,400	28,980
12,950	24,090	5,400	29,490
13,225	24,600	5,400	30,000
13,500	25,110	5,400	30,510
13,775	25,630	5,400	31,030
14,050	26,140	5,400	31,540
14,325	26,650	5,400	32,050

Am

Pre-revised scale
Rs8550-275-14600

Revised Pay Band+ Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100+Rs.5400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
8550	15910	5400	21310
8825	16420	5400	21820
9100	16930	5400	22330
9375	17440	5400	22840
9650	17950	5400	23350
9925	18470	5400	23870
10200	18980	5400	24380
10475	19490	5400	24890
10750	20000	5400	25400
11025	20510	5400	25910
11300	21020	5400	26420
11575	21530	5400	26930
11850	22050	5400	27450
12125	22560	5400	27960
12400	23070	5400	28470
12675	23580	5400	28980
12950	24090	5400	29490
13225	24600	5400	30000
13500	25110	5400	30510
13775	25630	5400	31030
14050	26140	5400	31540
14325	26650	5400	32050
14600	27160	5400	32560
14875	27670	5400	33070
15150	28180	5400	33580
15425	28700	5400	34100

Am

Pre-revised scale
Rs.10000-325-15200

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
10,000	18,600	6,600	25,200
10,325	19,210	6,600	25,810
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	28,880	6,600	35,480
15,850	29,490	6,600	36,090
16,175	30,090	6,600	36,690

Am

Pre-revised scale
Rs.10650-325-15850

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	28,880	6,600	35,480
15,850	29,490	6,600	36,090
16,175	30,090	6,600	36,690
16,500	30,690	6,600	37,290
16,825	31,300	6,600	37,900

Am

Pre-revised scale
Rs.12000-375-16500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + 7600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
12,000	22,320	7,600	29,920
12,375	23,020	7,600	30,620
12,750	23,720	7,600	31,320
13,125	24,420	7,600	32,020
13,500	25,110	7,600	32,710
13,875	25,810	7,600	33,410
14,250	26,510	7,600	34,110
14,625	27,210	7,600	34,810
15,000	27,900	7,600	35,500
15,375	28,600	7,600	36,200
15,750	29,300	7,600	36,900
16,125	30,000	7,600	37,600
16,500	30,690	7,600	38,290
16,875	31,390	7,600	38,990
17,250	32,090	7,600	39,690
17,625	32,790	7,600	40,390

Am

Pre-revised scale
Rs.14300-400-18300

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 8700

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
14,300	37,400	8,700	46,100
14,700	37,400	8,700	46,100
15,100	38,530	8,700	47,230
15,500	38,530	8,700	47,230
15,900	39,690	8,700	48,390
16,300	39,690	8,700	48,390
16,700	40,890	8,700	49,590
17,100	40,890	8,700	49,590
17,500	42,120	8,700	50,820
17,900	42,120	8,700	50,820
18,300	43,390	8,700	52,090
18,700	43,390	8,700	52,090
19,100	44,700	8,700	53,400
19,500	44,700	8,700	53,400

Sw

Pre-revised scale
Rs.16400-450-20000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 8900

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
16,400	39,690	8,900	48,590
16,850	40,890	8,900	49,790
17,300	40,890	8,900	49,790
17,750	42,120	8,900	51,020
18,200	42,120	8,900	51,020
18,650	43,390	8,900	52,290
19,100	43,390	8,900	52,290
19,550	44,700	8,900	53,600
20,000	44,700	8,900	53,600
20,450	46,050	8,900	54,950
20,900	46,050	8,900	54,950
21,350	47,440	8,900	56,340

Pre-revised scale
Rs.18400-500-22400

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 10000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
18,400	44,700	10,000	54,700
18,900	46,050	10,000	56,050
19,400	46,050	10,000	56,050
19,900	47,440	10,000	57,440
20,400	47,440	10,000	57,440
20,900	48,870	10,000	58,870
21,400	48,870	10,000	58,870
21,900	50,340	10,000	60,340
22,400	51,850	10,000	61,850
22,900	53,410	10,000	63,410
23,400	55,020	10,000	65,020
23,900	56,680	10,000	66,680

Note : The last three stages in each of the pay scales above relates to fixation for those drawing stagnation increment in the pre-revised scale

Pre-revised scale
Rs.22400-525-24500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 12000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
22,400	51,850	12,000	63,850
22,925	53,410	12,000	65,410
23,450	55,020	12,000	67,020
23,975	56,680	12,000	68,680
24,500	58,380	12,000	70,380

Pre-revised scale
Rs.26000 (fixed)

Revised Pay Scale
Apex Scale Rs.80000 (fixed)

Pre-revised Basic Pay	Revised Basic Pay
26000 (fixed)	80,000 (fixed)

शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318 / दस-59(एम) / 2008, दिनांक 08
दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार

वेतन निर्धारण का विवरण

1	सरकारी सेवक का नाम	
2	उस पद का पदनाम, जिस पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 / विकल्प की तिथि को वेतन निर्धारित होना है।	
3	स्तर (मौलिक / स्थानापन्न)	
4	पद का वर्तमान वेतनमान	
5	दिनांक 01 जनवरी, 2006 / विकल्प की तिथि को वर्तमान परिलब्धियाँ (क) मूल वेतन (वृद्धिरोध वेतन वृद्धि सहित, यदि कोई हो) (ख) महंगाई वेतन (ग) महंगाई भत्ता, दिनांक 01-1-2006 को लागू दर (24 प्रतिशत) पर। {अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसत 536(1982= 100) के आधार पर } (घ) एन0पी0ए0, यदि कोई हो, पर दिनांक 01-1-2006 को देय महंगाई भत्ता (24 प्रतिशत)। (ङ) कुल वर्तमान परिलब्धियाँ (क+ख+ग+घ)	
6	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वर्तमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन	
7	सादृश्य वेतन बैण्ड / वेतनमान में निर्धारित वेतन।	

8	सादृश्य ग्रेड वेतन।	
9	शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस- 59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-5 की टिप्पणी-6 के संदर्भ कनिष्ठ के वेतन के समान बढ़ाया गया वेतन, यदि लागू हो। (कनिष्ठ का नाम तथा वेतन स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय)	
10	मौलिक पद पर निर्धारित ऐसा वेतन जो स्थानापन्न पद पर निर्धारित वेतन से अधिक हो गया हो {बिन्दु-9 में उल्लिखित शासनादेश के प्रस्तर-5 (2) के संदर्भ में }	
11	वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो। (बिन्दु-9 में उल्लिखित शासनादेश के प्रस्तर-5 की टिप्पणी-5 व 7 के संदर्भ में)	
12	वेतन निर्धारण के उपरान्त परिलब्धियाँ (क) पुनरीक्षित वेतन बैंड/वेतनमान में वेतन (ख) ग्रेड वेतन (ग) विशेष वेतन, यदि अनुमन्य है { बिन्दु-9 में उल्लिखित शासनादेश के प्रस्तर-5 (1)(ग) के संदर्भ में } (घ) वैयक्तिक वेतन, यदि अनुमन्य है। (ङ) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता, यदि देय हो। (च) मूल वेतन एवं प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (यदि कोई हो) पर अनुमन्य महंगाई भत्ता।	

Sh

13	अगली वेतनवृद्धि की तिथि तथा वेतनवृद्धियाँ स्वीकृति करने के उपरान्त वेतन		
वेतन वृद्धि का दिनांक	वेतनवृद्धि के उपरान्त वेतन (रु०)		
	वेतन बैंड/ वेतनमान में देय वेतन	ग्रेड वेतन (जो देय है)	वेतन बैंड/वेतनमान में वेतन तथा देय ग्रेड वेतन का योग
14	अन्य कोई विशिष्ट सूचना		

कार्यालयाध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं पदनाम

दिनांक :

संलग्नक:- 3

सहमति - पत्र

मैं यह सहमति प्रदान करता हूँ कि यदि मेरे वेतन निर्धारण में किसी त्रुटि के कारण अथवा बाद में किसी असंगति के कारण अधिक भुगतान हो जाने की स्थिति पायी जाती है तो ऐसे अधिक किये गये भुगतान की धनराशि, सरकार द्वारा मुझे भविष्य में होने वाले भुगतानों में से समायोजन द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, मेरे द्वारा वापस कर दी जायेगी।

दिनांक:

हस्ताक्षर:

स्थान:

नाम:

पदनाम:



उत्तर प्रदेश ४

वेतन बैंड-3 (रु० 15,600-13,500-39,100) पढ़ा जाये।

2. शासनादेश दिनांक 2 फरवरी, शासनादेश की अन्य व्यवस्थाएँ/प्रतिबन्ध

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

[30]

उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, संख्या-वे०आ०-2-299/दस-54(एम)/2008-टी०सी०, दिनांक 27 फरवरी, 2009।

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

विषय : पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारित।

वेतन समिति, 2008 के प्रथम प्रतिवेदन में की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 के शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1314/दस-59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा तथा राज्य के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1315/दस-59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुमन्य किये जाने एवं शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था निर्गत की गयी है।

2. उक्त शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-12 में दिनांक 1 दिसम्बर, 2006 से दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक के देय अवशेष के भुगतान की व्यवस्था की गयी है। शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त व्यवस्था में ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों जिनकी जी०पी०एफ० कटौती अधिवर्षता आयु पूर्ण होने अथवा निकट होने के कारण वित्तीय वर्ष 2008-2009 या आगामी वित्तीय वर्षों में अवशेष भुगतान हेतु निर्धारित की गयी तिथि अथवा उसके पूर्व की तिथि से रोकी जा चुकी है, को अवशेष भुगतान की व्यवस्था का उल्लेख होने से छूट गया है। जिसके कारण उनके अवशेष भुगतान में कटौनाई आ रही है। इसके अतिरिक्त शासनादेश के प्रस्तर-8(1) में पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली

236

उत्तर प्रदेश छठा वेतन आयोग, 2008

वेतनवृद्धि की तिथि समान रूप से 1 जुलाई निर्धारित करने हेतु की गयी निम्नवत् को और स्पष्ट करने की मांग की गयी है:

“8(1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई होगी। 1 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारियों वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 1 जनवरी, 2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात् पहली वेतन वृद्धि दिनांक 1 जुलाई, 2006 को उन कर्मचारियों को प्रदान की जायेगी, जिनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख दिनांक 1 जुलाई, 2006 से 1 जनवरी, 2007 होगी।”

3. उपर्युक्त इंगित कठिनाई के निराकरण एवं वेतनवृद्धि की अनुमन्यता तिथि सम्बन्धी प्रावधान को स्पष्ट किये जाने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-12 (5) के बाद निम्नानुसार नया उप-प्रस्तर-6 जोड़े जाने एवं प्रस्तर 8(1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

“6-ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों जिनकी जी0पी0एफ0 कटौती अधिवर्षता आयु पूर्ण होने अथवा निकट होने के कारण वित्तीय वर्ष 2008-2009 या आगामी वर्षों में अवशेष भुगतान हेतु निर्धारित की गयी तिथि अथवा उसके पूर्व की तिथि से रोकी जा चुकी है उन्हें सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में देय अवशेष धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

8(1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई होगी। 1 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 6 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारियों वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसी प्रकार ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपनी गत वेतन वृद्धि दिनांक 2 जनवरी, 2005 से दिनांक 1 जनवरी, 2006 के मध्य अर्जित की है उन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि दिनांक 1 जुलाई, 2006 को देय होगी।

ऐसे कर्मचारी जिनकी आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 1 जुलाई, 2006 को अर्जित होती है, उन्हें अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी, 2006 को वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारित किया जायेगा। ऐसे कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 1 जुलाई, 2006 को देय होगी।”

4. उपर्युक्त शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इसकी शेष अन्य व्यवस्थाएँ/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

722
10/4
12/4

15/11

sl 3

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
संख्या:3/क-पुनरीक्षित वेतन-2010, दिनांक:अप्रैल 7, 2010,

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश ।

विषय:- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की फिटमेण्ट तालिका निर्गत किया जाना ।

--:

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या: वे0आ0-2-364/दस-2010 59(एम)/2008, दिनांक: 25-3-2010 की प्रतिलिपि एतद्वारा संलग्न क आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
संलग्नक: यथोपरि ।

सहायक सचिव

sl 7/4
(शुभ्रा भास्कर)

पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय,
नि0: पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय
उत्तर प्रदेश ।

असि
10/4

प्रतिलिपि- समस्त गोपनीय सहायक/अनुभाग अधिकारी, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

--:

SP (15)

अनुसचिव

He/Acct.

श्री कृष्ण राते

2/11/10

12/4

13-11-10

He 15/4

U/sect
12/11/10

संख्या-वे0310-2-365 / दस-2010-59(एम) / 2008

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

(1) सार्वजनिक प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सार्वजनिक विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2010

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की फिटर-टालिका निर्गत किया जाना।

अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में

य, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि वेतन समिति (2008) की मन्तर/पदवार की सभी संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार किसी पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2010 अथवा उपाय के बाद की तिथि से वर्तमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के स्थान पर अनुसूचित उच्चकृत/सशोधित वेतनमान के सादृश्य वेतन बैंड/ग्रेड वेतन जिनका विवरण निम्न तालिका में सलगन तालिकाओं के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाने की संख्या में गृहीत सहमे रतीकृति प्रदान की है -

क्र.सं.	वर्तमान वेतनमान / सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	उच्चकृत वेतनमान / सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन (रु०)	वेतन निर्धारण की सलगन तालिका संख्या (4)
1--	रु० 6500-10500 / वेतन बैंड-2 (रु० 9300-34800) एवं रु० 4200/-	रु० 7450-11500 / वेतन बैंड-2 (रु० 9300-34800) एवं रु० 4600/-	तालिका संख्या-1
2--	रु० 6500-10500 / वेतन बैंड-2 (रु० 9300-34800) एवं रु० 4200/-	रु० 7500-12000 / वेतन बैंड-2 (रु० 9300-34800) एवं रु० 4800/-	तालिका संख्या-2

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सलगन तालिकाओं में उल्लेखानुसार वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे0310-2-1518 / दस-59(एम) / 2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 एवं तत्कम में जारी शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-वे0310-2-365 (1) / दस-59(एम) / 2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

मन्त्र-सचिव (लेखा एवं इकाई) - 1 एवं 11 तथा (अडिटर) - 1 एवं 11, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

देश संख्या-वे0आ0-2-365 / दस-2010-59(एम) / 2008,
 25 मार्च, 2010 का संलग्नक

पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : रू0 6500-200-10500
 उच्चकृत वेतनमान : रू0 7450-225-11500
 उच्चकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना
 वेतन बैंड-2, रू0 8300- 34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/-)

क्र० सं०	पुनरीक्षण वेतनमान में वेतन	पूर्व मूल	उच्चकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन (रू० में)		
			वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1-	6500		12540	4600	17140
2-	6700		12540	4600	17140
3-	6900		12840	4600	17440
4-	7100		13210	4600	17810
5-	7300		13580	4600	18180
6-	7500		13950	4600	18550
7-	7700		14330	4600	18930
8-	7900		14700	4600	19300
9-	8100		15070	4600	19670
10-	8300		15440	4600	20040
11-	8500		15810	4600	20410
12-	8700		16190	4600	20790
13-	8900		16560	4600	21160
14-	9100		16930	4600	21530
15-	9300		17300	4600	21900
16-	9500		17670	4600	22270
17-	9700		18050	4600	22650
18-	9900		18420	4600	23020
19-	10100		18790	4600	23390
20-	10300		19160	4600	23760
21-	10500		19530	4600	24130
22-	10700		19910	4600	24510
23-	10900		20280	4600	24880
24-	11100		20650	4600	25250

शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-365/दस-2010-59(एम)/2008,
 दिनांक 25 मार्च, 2010 का संलग्नक

(1)

तालिका स

- (1) पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान : रू0 6500-200-10500
- (2) उच्चिकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना : रू0 7500-250-12000
- (3) उच्चिकृत वेतनमान के सादृश्य एवं ग्रेड वेतन रू0 34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/-

क्र0 सं0	(1) पुनरीक्षण वेतनमान वेतन	(2) पुनरीक्षण वेतनमान वेतन	(3) उच्चिकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैंड में वेतन	(4) उच्चिकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैंड में ग्रेड वेतन	(5) सर्वाधिक मूल वेतन
1-	6500	6500	13350	4800	18150
2-	6700	6700	13350	4800	18150
3-	6900	6900	13350	4800	18150
4-	7100	7100	13350	4800	18150
5-	7300	7300	13350	4800	18150
6-	7500	7500	13350	4800	18150
7-	7700	7700	13580	4800	18380
8-	7900	7900	13950	4800	18750
9-	8100	8100	14330	4800	19130
10-	8300	8300	14700	4800	19500
11-	8500	8500	15070	4800	19870
12-	8700	8700	15440	4800	20240
13-	8900	8900	15810	4800	20610
14-	9100	9100	16190	4800	20990
15-	9300	9300	16560	4800	21360
16-	9500	9500	16930	4800	21730
17-	9700	9700	17300	4800	22100
18-	9900	9900	17670	4800	22470
19-	10100	10100	18050	4800	22850
20-	10300	10300	18420	4800	23220
21-	10500	10500	18790	4800	23590
22-	10700	10700	19160	4800	23960
23-	10900	10900	19530	4800	24330
24-	11100	11100	19910	4800	24710
			20280	4800	25080
			20650	4800	25450

120 दिनांक-27.03.10 (2671) 3000 (अपराध)

Sl. 2

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्या: 3/क-ग्रेड वे-2010, दि 0 मार्च 25, 2010

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय:--वेतन समिति {2008} की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्त्र ग्रेड वेतन/वेतनमान में संगोष्ठान।

उपर्युक्त विषयक आदेश संख्या: वे0आ0-2-287/दस-59/एम/08

दिनांक: 16 मार्च, 2010 की प्रतिलिपि इतद्वारा सिलग्न करके आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सिलग्नक:--बधोपरि।

[Signature]
शुभा भास्कर

पुलिस-उपाधीक्षक, मुख्यालय,
3050।

प्रति

प्रतिलिपि समस्त गोपनीय सहायक/अनुभाग अधिकांसी, पुलिस मुख्यालय,

इलाहाबाद, अनु0 20 को 5 प्रतियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सिलग्नक सहित प्रेषित।

सिलग्नक:--बधोपरि।

संयुक्त सचिव 'वित्त'

[Signature]
आ.स. 33

[Signature] (1) (4)

[Signature]
27/3

[Signature]
Add'l Secy (P)
28-03-10

[Signature]
28/3/10

[Signature]

प्राप्तक, मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उओप्रओ शासन।

सेवा में,

- (1)
- (2)

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2010

वित्त (प्राशन आयोग) अनुभाग-2

विषय:- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन/वेतनमान में संशोधन।

महोदय,

वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन ग्रेड/वेतनमान एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति शासनादेश संख्या नोआओ-2-1314/एस-69(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा दी गयी थी। भारत सरकार द्वारा कतिपय वेतनमानों के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन/वेतनमान को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णयों के क्रम में वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर पुनरीक्षण पूर्व वेतनमानों के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) राजकीय कर्मचारियों को पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान ₹0 22400-24500 लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना सादृश्य वेतन ग्रेड-4(₹0 37400-67000) एवं ग्रेड वेतन ₹0 12000 के स्थान पर वेतनमान ₹0 67000-वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की से-70000 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से स्वीकृत किया जाय।
 - (2) राजकीय कर्मचारियों को पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान ₹0 6500-10500 लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना सादृश्य वेतन ग्रेड-2 (₹0 9300-34800) एवं ग्रेड वेतन ₹0 4200 के स्थान पर वेतन ग्रेड-2 (₹0 9300-34800) में ग्रेड वेतन ₹0 4600/- दिनांक 01 जनवरी, 2006 से स्वीकृत किया जाय।
- 2- उपर्युक्तानुसार संशोधित वेतन ग्रेड/वेतनमान में सम्बन्धित कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एवं तदनुसार निर्धारित वेतन के फलस्वरूप देय अवशेष

III - A

Slr
25/3
D.S.P.HQ.

यदि कोई भी का भुगतान शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/ वस-59 (एम)/ 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों की व्यवस्था अनुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्तानुसार वेतन बैंड/वेतनमान में संशोधन के फलस्वरूप प्रभावित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/ वस-59 (एम)/ 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना को सम्बन्ध में दिये गये विकल्प को स्थान पर संशोधित विकल्प द्वारा शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4- उपर्युक्त शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-1314/ वस-59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और शासनादेश की शेष व्यवस्थाये यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

~~संख्या-वे0आ0-2-207(1)/ वस-59 (एम)/ 08, दिनांक~~

- 1- महालेखाकार (नियम एवं सहायकी) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित।
- 2- प्रमुख सचिव को संदर्भार्थ, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- महालेखाकार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, सभन एवं जन सभ्यता, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, अधिष्ठाण पुनरीक्षण धरो, वित्त विभाग।
- 7- समस्त मुख्य/सहायक कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9- इलाहाबाद अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- गाँव बुक।

आज्ञा से,

(नरेंद्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2010.

विषय:—वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग-1 में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/ उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के सम्बन्ध में नवम् प्रतिवेदन भाग-1 में दी गयीं निम्न संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1314/दस-59(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अनुसार समूह 'घ' के पूर्व वेतनमान रु0 2550-3200, 2610-3540 तथा 2650-4000 के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वर्तमान वेतन बैण्ड -1एस0, रु0 4440-7440 एवं ग्रेड वेतन क्रमशः रु0 1300/-, 1400/- तथा रु0 1650/- के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैण्ड-1, रु0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 1800/- अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों को छोड़कर) पर नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों के सम्बन्ध में केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जाय।

3- उपर्युक्तानुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड-1, रु0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 1800/- में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे0 आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 तथा समय-समय पर तत्कम में निर्गत अन्य शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1314 / दस-54(एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

गवदीय,


प्रमुख (अनुप मिश्र)
(अनुप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या-वे0आ0-2-2052 (1) / दस-59(एम) / 2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)- I एवं II, उ0प्र0, इलाहाबाद
- 2- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
- 7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।
- 11- गाडंबुक।

आज्ञा से,



(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1314/दस-59(एम)/2008.
दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का संलग्नक।

क्र० सं०	वर्तमान वेतनमान (रु०)	पुनरीक्षित वेतन संरचना		
		वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड/ वेतनमान (रु०)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रु०)
1	2	3	4	5
1	2550-55-2680-60-3200	-1एस	4440-7440	1300
2	2610-60-3150-65-3540	-1एस	4440-7440	1400
3	2650-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1650
4	2750-70-3800-75-4400	वेतन बैंड-1	5200-20200	1800
5	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैंड-1	5200-20200	1900
6	3200-85-4900	वेतन बैंड-1	5200-20200	2000
7	4000-100-6000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2400
8	4500-125-7000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2800
9	4500-125-7250	वेतन बैंड-1	5200-20200	2800
10	5000-150-8000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
11	5500-175-9000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
12	6500-200-10500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
13	7450-225-11500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4600
14	7500-250-12000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4800
15	8000-275-13500*	वेतन बैंड-2	9300-34800	5400
16	8000-275-13500**	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
17	8550-275-14500	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
18	10000-325-15200	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
19	10650-325-15850	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
20	12000-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
21	14300-400-18300	वेतन बैंड-4	37400-67000	8700
22	16400-450-20000	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900
23	18400-500-22400	वेतन बैंड-4	37400-67000	10000
24	22400-525-24500	वेतन बैंड-4	37400-67000	12000
25	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

जहाँ इस वेतनमान के पद शत प्रतिशत पदोन्नति से मरे जाते हों अथवा जहाँ यह वेतनमान सम्यमान वेतनमान/ए.सी.पी. के रूप में देय हो।

जहाँ इस वेतनमान के पदों पर सीधी मर्जी न हो।

प्रेषक,

मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2008

विषय:- पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-वे03आ0-2-1371/दस-59(एम)-2008, दिनांक 02 जनवरी, 2009 एवं संख्या-वे03आ0-2-299/दस-59(एम)-2008 टी0सी0, दिनांक 27 फरवरी, 2009 सपठित शासनादेश संख्या-वे03आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के माध्यम से दिनांक 01 जनवरी, 2006 से स्लाम् पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित विस्तृत व्यवस्था की गयी है।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-1 के स्पष्टीकरण-4 के आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 के उपरान्त किसी पद/संवर्ग का वेतनमान उच्चिकृत/संशोधित होने की स्थिति में उच्चिकरण/संशोधन की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था उपलब्ध है किन्तु पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के उपरान्त पद का वेतनमान उच्चिकृत/संशोधित होने की स्थिति में उच्चिकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 में उपलब्ध नहीं है। ऐसे संवर्ग/पदों, जिनके वेतनमान का उच्चिकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद हुआ हो और सम्बन्धित पदधारक द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना, वेतनमान उच्चिकरण की तिथि के पूर्व से चुनी का विकल्प दिया गया हो, उन मामलों में पुनरीक्षित वेतन संरचना में पद के उच्चिकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहाय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) किसी कार्मिक द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के उपरान्त यदि सम्बन्धित पद के उच्चिकृत/संशोधित

(2)

वेतनमान के उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है, तो उच्चीकरण की तिथि को वेतन बैंड में उसका वेतन (बैंड वेतन) अपरिवर्तित रहेगा और उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। तदोपरान्त 06 माह अथवा उसके उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को उसे अगली सामान्य वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी।

(2) यदि संबंधित कार्मिक द्वारा पद के उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में, उच्चीकरण की तिथि के उपरान्त पड़ने वाली अपनी सामान्य वेतन वृद्धि की तिथि से, वेतन निर्धारण हेतु विकल्प दिया जाता है, तो उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से वेतन निर्धारण का कोई लाभ देय नहीं होगा अर्थात् उसका वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन यथावत रहेगा और अगली वेतन वृद्धि की तिथि अर्थात् 01 जुलाई को संबंधित कार्मिक को देय सामान्य वेतन वृद्धि, जो उसे पूर्व से भिन्न रहे वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के आधार पर आगणित होगी, अनुमन्य कराते हुए उच्च ग्रेड वेतन देय होगा।

(3) उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैंड/ग्रेड में संबंधित कार्मिक का वेतन शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1371/दस-59(एम)/2008, दिनांक 02 जनवरी, 2009 सपठित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक-2 में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा इसके बाद नियुक्त सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिये पुनर्शिक्षित वेतन संरचना की तालिका (ब) में संबंधित वेतन बैंड/ग्रेड वेतन के सम्मुख उल्लिखित कुल धनराशि से कम वेतन निर्धारित होने पर उसे उपर्युक्त तालिका (ब) के अनुसार आगणित कुल धनराशि के बराबर मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार वेतन निर्धारण से सम्बन्धित उदाहरण संलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

W

(3)

4- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(मन्जीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-वेआ0-2-841 (1)/दस-59(एग)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)-I एवं II, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- निर्देशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
- 6- निर्देशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
- 7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8- उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841 / दस-55(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 का संलग्नक

संलग्नक-1

(क) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में 02 जुलाई से अनुवर्ती वर्ष की 01 जनवरी तक उच्चीकरण होने के फलस्वरूप वेतन निर्धारण

- (1) पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन
 ₹0 5200-20200 एवं ₹0 2000/-
- (2) यदि दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित वेतन बैंड वेतन है -
 ₹0 8910/-
- (3) अतः दिनांक 01 जनवरी, 2006 को मूल वेतन (बैंड वेतन+ग्रेड वेतन)
 ₹0 8910/-
- (4) दिनांक 01 जुलाई, 2006 एवं 01 जुलाई, 2007 की वेतन वृद्धियाँ अनुमन्य कराते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2007 को निर्धारित मूल वेतन (बैंड वेतन ₹0 7460 + ग्रेड वेतन ₹0 2000)
 ₹0 9460/-
- (5) यदि पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन ₹0 2000/- के स्थान पर दिनांक 10 अगस्त, 2007 से ₹0 2400/- का उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ।
- (6) (1) उच्चीकरण की तिथि से वेतन निर्धारण करने पर उच्चीकरण की तिथि को आगणित मूल वेतन (बैंड वेतन ₹0 7460+ग्रेड वेतन ₹0 2400)
 ₹0 9860/-
 (2) शासनादेश सं0-वे0आ0-1318/दस-69(एम)/08, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 में सीधी भर्ती से ग्रेड वेतन ₹0 2400/- में नियुक्ति पर निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (बैंड वेतन ₹0 7510+ ग्रेड वेतन ₹0 2400) है -
 ₹0 9910/-
- (7) अतः ग्रेड वेतन ₹0 2400/- में उच्चीकरण की तिथि को निर्धारित मूल वेतन (6)(2) के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (6)(1) के अन्तर्गत आगणित मूल वेतन से अधिक होने पर
 ₹0 9910/-
- (8) (1) उच्चीकरण की तिथि से वेतन निर्धारण करने पर अगली वेतनवृद्धि अर्थात् दिनांक 01 जुलाई, 2008 को वेतनवृद्धि अनुमन्य कराते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2008 को निर्धारित मूल वेतन (बैंड वेतन ₹0 7810+ग्रेड वेतन ₹0 2400)
 ₹0 10210/-
 (2) उच्चीकरण की तिथि के बाद की वेतन वृद्धि की तिथि अर्थात् दिनांक 01 जुलाई, 2008 से वेतन निर्धारण करने पर, दिनांक 01 जुलाई, 2007 को अनुमन्य मूल वेतन पर एक वेतनवृद्धि तथा उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए, दिनांक 01 जुलाई, 2008 को निर्धारित मूल वेतन (बैंड वेतन ₹0 7750 + ग्रेड वेतन ₹0 2400)
 ₹0 10150/-

AD

(ख) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में 02 जनवरी से 30 जून तक उच्चीकरण होने के फलस्वरूप वेतन निर्धारण।

- (1) पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रु० 15600-39100
रु० 6600/-
- (2) यदि दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित बैण्ड वेतन है - रु० 21630/-
- (3) अतः दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु० 21630+ग्रेड वेतन रु० 6600) रु० 28230/-
- (4) दिनांक 01 जुलाई, 2006 एवं दिनांक 01 जुलाई, 2007 की वेतन वृद्धियाँ अनुमन्य कराते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2007 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु० 23360+ग्रेड वेतन रु० 6600) रु० 29960/-
- (5) यदि पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रु० 6600/- के स्थान पर दिनांक 01 जून, 2008 से रु० 7600/- का उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ।
- (6) (1) ग्रेड वेतन के उच्चीकरण की तिथि से वेतन निर्धारण कराने पर उच्चीकरण की तिथि को आगणित मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु० 23360+ग्रेड वेतन रु० 7600) रु० 30960/-
- (2) शासनादेश सं०-वे०आ०-1318/दस-59(एम)/08, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 में सीधी मर्ती से ग्रेड वेतन रु० 7600/- में नियुक्ति पर निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु० 21900+ ग्रेड वेतन रु० 7600) है - रु० 29500/-
- (7) अतः ग्रेड वेतन रु० 7600/- में उच्चीकरण की तिथि को निर्धारित मूल वेतन, (6)(2) के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (6)(1) से कम होने के कारण रु० 30960/-
- (8) (1) उच्चीकरण की तिथि से वेतन निर्धारण कराने पर, अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2008 से अनुमन्य न होने के कारण दिनांक 01 जुलाई, 2009 को वेतनवृद्धि अनुमन्य कराते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2009 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु० 24290+ग्रेड वेतन रु० 7600) रु० 31890/-
- (2) उच्चीकरण की तिथि के बजाए, उच्चीकरण की तिथि के बाद देय वेतन वृद्धि की तिथि अर्थात् दिनांक 01 जुलाई, 2008 से वेतन निर्धारण कराने पर, मूल वेतन पर एक वेतनवृद्धि तथा उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए, दिनांक 01 जुलाई, 2008 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु० 24260+ग्रेड वेतन रु० 7600) रु० 31860/-
- तदोपरान्त अगली वेतनवृद्धि की तिथि 01 जुलाई, 2009 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु० 25220 + ग्रेड वेतन रु० 7600) रु० 32820/-

[Handwritten Signature]

Redmi Pad
FAX NO. :

20 Nov. 2010 14:21 P1

FAX

संख्या-3699 / 6-पु-1-10-148/08

प्रेषक:

राकेश चन्दा,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 2010

विषय: वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में पुलिस विभाग के विभिन्न श्रेणी के पदों के वेतनमानों में संशोधन/ उच्चीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में संलग्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पद के स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन) को स्तम्भ-4 के अनुसार उच्चीकृत/ संशोधित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि तदनुसार उच्चीकृत/ संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन) में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रूप से निर्धारित करते हुए वास्तविक भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जायेगा।

2- उक्तानुसार उच्चीकृत/ संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन) में सम्बन्धित पदधारक का वेतन शासनादेश संख्या- 40310-2-1318/ दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा तत्काल में निर्गत अन्य शासनादेशों की व्यवस्थानुसार निर्धारित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 40310-1-592/ दस-2010, दिनांक 27 नवम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि

राकेश चन्दा

(M)

(राकेश चन्दा)
विशेष सचिव

संख्या-3699(1)/6-पू-1-2010-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक (बजट)/ मुख्यालय, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन, /अभिसूचना / सी०बी०सी०आई०डी / दूरसंचार / पी०ए०सी० / एस०टी०एफ० / जी०आर०पी० / विशेषज्ञोंच / यातायात / विशेष अनुसंधान शाखा उ०प्र० लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), उ०प्र० लखनऊ।
- 5- पुलिस महानिरीक्षक (तकनीकी सेवार्थ), उ०प्र० लखनऊ।
- 6- पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), उ०प्र० लखनऊ।
- 7- पुलिस महानिरीक्षक, (अपराध) / ई०ओ०डब्लू० / अनि०सं० / उ०प्र० लखनऊ।
- 8- पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), उ०प्र० लखनऊ।
- 9- संबंधित क्रोधाधिकारी।
- 10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1/2
- 11- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग 1/2
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12,
- 13- गृह विभाग के समस्त अनुभाग
- 14- वेब मास्टर, गृह विभाग
- 15- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

10
(राकेश चन्दा)
विशेष सचिव

(ब) घुड़सवार पुलिस

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड / ग्रेड वेतन) (रु०)	उच्चिकृत / संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड / ग्रेड वेतन) (रु०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	हेड कास्टेबिल	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	
2-	कास्टेबिल	3050-4590 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1800/-)	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	

(स) जल पुलिस

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड / ग्रेड वेतन) (रु०)	उच्चिकृत / संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड / ग्रेड वेतन) (रु०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	हेड कास्टेबिल	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	
2-	कास्टेबिल	3050-4590 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1900/-)	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	

(द) लिपिकीय संवर्ग

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड / ग्रेड वेतन) (रु०)	उच्चिकृत / संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड / ग्रेड वेतन) (रु०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	ए०एस० आई०(एम०)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	4500-7000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/-)	

(IV) स्पेशल टास्क फोर्स

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड / ग्रेड वेतन) (रु०)	उच्चिकृत / संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड / ग्रेड वेतन) (रु०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

शासनादेश संख्या-3699/6-पु-1-2010-148/08, दिनांक 28 नवम्बर, 2010 का
संलग्नक

(1) सिविल पुलिस संगठन

(I) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	उच्चिकृत/संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	ए०एस०आई० (एम०)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	4500-7000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/-)	
2-	हेड कास्टेबिल स०पु०	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	
3-	कास्टेबिल स०पु०	3050-4590 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1900/-)	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	

(II) शिबिर कार्यालय जोन/रेंज

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	उच्चिकृत/संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	ए०एस०आई० (एम०)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	4500-7000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/-)	

(III) (अ) जिला पुलिस संवर्ग

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	उच्चिकृत/संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	हेड कास्टेबिल ना०पु०/स०पु०	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	
2-	कास्टेबिल ना०पु०/स०पु०	3050-4590 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1900/-)	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	

	आरक्षी	रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	
3-	आरक्षी	3050-4590 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1900/-)	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	

(4) अग्नि शमन शाखा

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	उच्चिकृत/सशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	लीडिंग फायरमैन	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	
2-	फायर सर्विस चालक	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	
3-	फायरमैन	3050-4590 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1900/-)	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	

(5) राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	उच्चिकृत/सशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	सहायक उप निरीक्षक (एम०)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	4500-7000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/-)	

(6) पुलिस तकनीकी सेवायें

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	उच्चिकृत/सशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	सहाय उपनिरीक्षक (एम)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	4500-7000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु०	

1-	हेड कार्टेबिल	3200-4900 बैण्ड-1 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 2000/-)	(वेतन रू)	4000-6000 बैण्ड-1 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 2400/-)	(वेतन रू)
2-	कार्टेबिल	3050-4590 बैण्ड-1 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 1900/-)	(वेतन रू)	3200-4900 बैण्ड-1 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 2000/-)	(वेतन रू)

(2) राजकीय रेलवे पुलिस

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन) (रू)	उच्चिकृत/सशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन) (रू)	अभ्युक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1-	ए०एस०आई० (एस०)	4000-6000 बैण्ड-1 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 2400/-)	(वेतन रू)	4500-7000 बैण्ड-1 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 2800/-)	(वेतन रू)
2-	हेड कार्टेबिल ना०पु०/स०पु०	3200-4900 बैण्ड-1 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 2000/-)	(वेतन रू)	4000-6000 बैण्ड-1 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 2400/-)	(वेतन रू)
3-	कार्टेबिल ना०पु०/स०पु०	3050-4590 बैण्ड-1 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 1900/-)	(वेतन रू)	3200-4900 बैण्ड-1 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 2000/-)	(वेतन रू)
4-	कार्टेबिल यातायात	3050-4590 बैण्ड-1 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 1900/-)	(वेतन रू)	3200-4900 बैण्ड-1 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 2000/-)	(वेतन रू)
5-	कार्टेबिल चालक	3050-4590 बैण्ड-1 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 1900/-)	(वेतन रू)	3200-4900 बैण्ड-1 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 2000/-)	(वेतन रू)

(3) पी०ए०सी०

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन) (रू)	उच्चिकृत/सशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन) (रू)	अभ्युक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1-	ए०एस० आई० (एस०) (लिगि०)	4000-6000 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 2400/-)	(वेतन बैण्ड-1 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 2400/-)	4500-7000 बैण्ड-1 रू 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू 2800/-)	(वेतन रू)
2-	मुख्य	3200-4900 (वेतन बैण्ड-1	4000-6000 (वेतन		

2-	मुख्य आरक्षी स०पु०	3200-4900 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2000/-)	2800/-)	4000-6000 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2400/-)
3-	आरक्षी स०पु०	3050-4590 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 1900/-)	3200-4900 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2000/-)	4000-6000 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2400/-)
4-	आरक्षी चालक	3050-4590 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 1900/-)	3200-4900 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2000/-)	4000-6000 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2400/-)

(7) उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केंद्र

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन ब्रेण्ड/ ग्रेड वेतन) (रू०)	सञ्चीकृत/संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन ब्रेण्ड/ ग्रेड वेतन) (रू०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	ए०एस० आर०(एम०)	4000-6000 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2400/-)	4500-7000 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2800/-)	
2-	हेड कार्टेबिल (कम्प्यूटर) / कन्सोल ऑपरेटर	3200-4900 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2000/-)	4000-6000 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2400/-)	
3-	मुख्य आरक्षी स०पु०	3200-4900 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2000/-)	4000-6000 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2400/-)	
4-	आरक्षी स०पु०	3050-4590 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 1900/-)	3200-4900 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2000/-)	
5-	आरक्षी चालक	3050-4590 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 1900/-)	3200-4900 (वेतन ब्रेण्ड-1 रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2000/-)	

(8) पुलिस रेडियों शाखा

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन ब्रेण्ड/ ग्रेड वेतन) (रू०)	सञ्चीकृत/संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन ब्रेण्ड/ ग्रेड वेतन) (रू०)	अभ्युक्ति

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	सहायक परिचालक	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	
2-	कर्मशाला कर्मचारी	3050-4590 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1900/-)	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	

(9) विशेष जाँच शाखा

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	उच्चिकृत/संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	ए०एस० आई० (एम०)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	4500-7000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/-)	
2-	कास्टेबिल चालक	3050-4590 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1900/-)	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	

(10) अभिसूचना विभाग

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	उच्चिकृत/संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	ए०एस० आई० (एम०)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	4500-7000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/-)	
2-	मुख्य आरक्षी	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	
3-	आरक्षी	3050-4590 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1900/-)	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	
4-	मुख्य आरक्षी (एम०टी०)	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	
5-	आरक्षी	3050-4590 (वेतन बैंड-1	3200-4900 (वेतन	

	चालक	बैण्ड-1 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 1900/-)	रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/-)	बैण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/-)	
7-	कान्सटेबल डी०आर०	3050-4590 (वेतन बैण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 1900/-)	रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2400/-)	3200-4900 (वेतन बैण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2400/-)	

(13) अपराध अनुसंधान विभाग

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन) (रु)	उच्चिकृत/संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन) (रु)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	ए०एस० आई० (एम०)	4000-6000 (वेतन बैण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2400/-)	4500-7000 (वेतन बैण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2800/-)	
2-	ए०एस० आई० (एम०)/ वीडियो कैमरामैन	4000-6000 (वेतन बैण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2400/-)	4500-7000 (वेतन बैण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2800/-)	
3-	हेड कान्सटेबल नागरिक पुलिस	3200-4900 (वेतन बैण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2400/-)	
4-	हेड कान्सटेबल एम०टी०	3200-4900 (वेतन बैण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2400/-)	
5-	कान्सटेबल	3050-4590 (वेतन बैण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 1900/-)	3200-4900 (वेतन बैण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/-)	
6-	कान्सटेबल एम०टी०	3050-4590 (वेतन बैण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 1900/-)	3200-4900 (वेतन बैण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/-)	

(14) ई०आ०डब्लू०

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन) (रु)	उच्चिकृत/संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन) (रु)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	ए०एस०	4000-6000 (वेतन बैण्ड-1	4500-7000 (वेतन	

चालक	रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1900/-)	बैण्ड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	
------	--	---	--

(11) शोध इकाई/अगुल विन्ड ब्युरो

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	उच्चिकृत/सशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	ए०एस० आई० (एम०)	4000-6000 (वेतन बैण्ड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	4500-7000 (वेतन बैण्ड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/-)	
2-	मुख्य आरक्षी	3200-4900 (वेतन बैण्ड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैण्ड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	

(12) राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	उच्चिकृत/सशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	ए०एस० आई०टी०	4000-6000 (वेतन बैण्ड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	4500-7000 (वेतन बैण्ड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/-)	
2-	ए०एस० आई०एम०	4000-6000 (वेतन बैण्ड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	4500-7000 (वेतन बैण्ड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/-)	
3-	हेड कान्सटेबल टी०	3200-4900 (वेतन बैण्ड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैण्ड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	
4-	मुख्य आरक्षी एम०टी०	3200-4900 (वेतन बैण्ड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैण्ड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	
5-	कान्सटेबल टी०	3050-4590 (वेतन बैण्ड-1 रु० 5200-20200 - एवं ग्रेड वेतन रु० 1900/-)	3200-4900 (वेतन बैण्ड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	
6-	कान्सटेबल	3050-4590 (वेतन	3200-4900 (वेतन	

2-	आरक्षी	3050-4590 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 1900/-)	3200-4900 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/-)
3-	मुख्य आरक्षी चालक	3200-4900 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/-)	4000-6000 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2400/-)
4-	आरक्षी चालक	3050-4590 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 1900/-)	3200-4900 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/-)

(17) पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन ब्रेण्ड/ ग्रेड वेतन) (रु)	तत्प्रीकृत/सशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन ब्रेण्ड/ ग्रेड वेतन) (रु)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	ए०एस०आई० (एम०)/ लिपिक	4000-6000 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2400/-)	4500-7000 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2800/-)	
2-	हेड कान्सटेबल आरमोरर	3200-4900 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200- 20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/-)	4000-6000 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2400/-)	
3-	हेड कान्सटेबल (एम०टी०)	3200-4900 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/-)	4000-6000 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2400/-)	
4-	हेड कान्सटेबल (पी०टी० आई०)/आई० टी०आई०	3200-4900 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200- 20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/-)	4000-6000 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2400/-)	
5-	कान्सटेबल (पी०टी० आई०)/आई० टी०आई०	3050-4590 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 1900/-)	3200-4900 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/-)	
6-	कान्सटेबल नागरिक पुलिस	3050-4590 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 1900/-)	3200-4900 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/-)	
7-	कान्सटेबल सशत्रु पुलिस/	3050-4590 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 1900/-)	3200-4900 (वेतन ब्रेण्ड-1 रु 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 2000/-)	

	आई० (एगो)	रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/-)	
2-	मुख्य आरक्षी	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	
3-	आरक्षी	3050-4590 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1900/-)	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	
4-	मुख्य आरक्षी (एगोटी०)	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	
5-	आरक्षी (एगोटी०)	3050-4590 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1900/-)	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	

(15) विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता)

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	सञ्चीकृत/संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	ए०एस०आ ई०(एगो)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	4500-7000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2800/-)	
2-	आरक्षी	3050-4590 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1900/-)	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	
3-	आरक्षी चालक	3050-4590 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 1900/-)	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	

(16) अष्टाचार निवारण संगठन

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	सञ्चीकृत/संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन) (रु०)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	मुख्य आरक्षी	3200-4900 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2000/-)	4000-6000 (वेतन बैंड-1 रु० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु० 2400/-)	

8-	आरगोरर कान्सटेबल बिगुलर	वेतन रू0 1900 /-)	2000 /-)	
		3050-4590 (वेतन बैण्ड-1 रू0	3200-4900 (वेतन बैण्ड-1 रू0	
		5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900 /-)	एवं ग्रेड वेतन रू0 2000 /-)	
9-	कान्सटेबल वालक	वेतन रू0 1900 /-)	2000 /-)	
		3050-4590 (वेतन बैण्ड-1 रू0	3200-4900 (वेतन बैण्ड-1 रू0	
		5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0	एवं ग्रेड वेतन रू0	
		1900 /-)	2000 /-)	

10
(राकेश चन्द्रा)
विशेष सचिव।